

न्यायालय:- द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गौहद जिला भिण्ड (म0प्र0)
(समक्ष: श्री पी.सी. आर्य)

दाण्डिक पुनरीक्षण क्रमांक: 193 / 13
संस्थापन दिनांक-20 / 03 / 13

1. रफीक खां अहमद, पुत्र अलिक खां,
आयु 60 साल
2. शरीफ अहमद पुत्र रफीक खां,
आयु 26 साल
3. भूरे खां पुत्र अलिक खां,
आयु 54 साल
निवासीगण ग्राम गोपालपुरा जिला जालौन,
हाल निवासी करसान रोड पटेल नगर, उरई उ.प्र.

---पुनरीक्षणकर्ता / आवेदकगण / आरोपीगण

वि रु द्ध

इरसाद खां पुत्र मोहम्मद,

आयु 42 साल, निवासी वार्ड नंबर-7 गोहद.

.....प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण / अनावेदक

न्यायालय-श्री केशव सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी गौहद
जिला-भिण्ड के न्यायालय के प्रकरण क्रमांक-963 / 2008 ई.फौ. इरशाद
खां विरुद्ध रफीक खां में पारित आदेश दिनांक 08 / 7 / 2013 से उत्पन्न
दाण्डिक पुनरीक्षण

-::- आ दे श -::-

(आज दिनांक 02, सितंबर 2014 को पारित किया गया)

1. श्री केशव सिंह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड के न्यायालय के आपराधिक प्रकरण क्रमांक-963 / 2008 इरशाद विरुद्ध रफीक आदि में पारित आदेश दिनांक 08 / 7 / 2013 से व्यथित होकर याचिकाकर्ता / प्रत्यर्थीगण / आरोपीगण ने यह पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा प्रतिपुनरीक्षण / परिवादी की ओर से प्रस्तुत परिवादपत्र स्वीकार किया जाकर आरोपीगण / प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण के विरुद्ध धारा-323 / 34 भा0दं0वि0 में अपराध पंजीबद्ध किया गया ।
2. प्रकरण में महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि परिवादी / प्रतिपुनरीक्षणकर्ता की पत्नी पुनरीक्षणकर्ता / आरोपी रफीक खां की पुत्री है ।
3. प्रतिपुनरीक्षणकर्तागण / आरोपीगण के निगरानी के निम्नानुसार आधार बताये

हैं कि रजिया आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी क्र.-1 की पुत्री है, जो कि परिवादी/अनावेदक/प्रतिपुनरीक्षणकर्ता की पत्नी है, जिसने परिवादी के दवाब में न्यायालय में असत्य कथन किया है, जिस प्रकार की घटना परिवादी/प्रतिपुनरीक्षणकर्ता ने बतायी है, उस प्रकार की कोई घटना घटित ही नहीं हुई । घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी भी नहीं है, उक्त तथ्यों पर विचार किए बिना ही अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से संज्ञान लिया है ।

4. आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता क्र.-1 पूर्व भारतीय सैनिक है, उसे भारतीय राष्ट्रपति सम्मान से भी नवाजा गया है, जिससे वह इस प्रकार का कृत्य नहीं कर सकता है, अधीनस्थ न्यायालय ने स्वतंत्र साक्षियों के कथन कराये बिना ही आदेश दिनांक-8/7/13 को परिवादपत्र गलत रूप से पंजीबद्ध कर लिया है, जो कि आदेश निरस्ती योग्य है । पुनरीक्षणयाचिका स्वीकार कर पुनरीक्षणकर्ता/आरोपीगण ने आलोच्य आदेश निरस्त किए जाने का निवेदन किया है ।
5. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने पुनरीक्षण याचिका में उठाये बिन्दुओं और लिये गये आधारों के अनुरूप तर्क किए हैं कि परिवादी/प्रतिपुनरीक्षणकर्ता ने झूठे आधारों पर परिवाद किया है, जबकि रजिया पुनरीक्षणकर्ता क्रमांक-1 की पुत्री और प्रतिपुनरीक्षणकर्ता/परिवादी की पत्नी है, जिसने प्रतिपुनरीक्षणकर्ता के दवाब में कथन दिया है और पुनरीक्षणकर्ता पूर्व भारतीय सैनिक है, तथा राष्ट्रपति सम्मान से भी उसे सम्मानित किया जा चुका है और स्वतंत्र साक्ष्य नहीं है, जिसपर अधीनस्थ न्यायालय ने कोई ध्यान नहीं दिया, इसलिये आलोच्य आदेश निरस्त किया जावे और उसके तहत लगाये गये आरोप भी निरस्त किए जावें । प्रतिपुनरीक्षणकर्ता/परिवादी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क रहा है कि मामले में साक्ष्य हो चुकी है और एक साक्षी का कथन होना शेष है, तथा पुनरीक्षणयाचिका केवल बिलंब करने के उद्देश्य से पेश की गयी है एवं विद्वान निम्न न्यायालय का आदेश पूर्णतया उचित है ।
6. विचारणीय यह है कि—“क्या, विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 08/07/2013 अवैध, अनुचित या औचित्यहीन होकर अपास्त किए जाने योग्य है ?”

--::-- निष्कर्ष के आधार --::--

7. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश एवं अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गये परिवादपत्र, कथन एवं उसके साथ संलग्न किए गये दस्तावेजों का अवलोकन किया गया ।

8. विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के मूल अभिलेख के परिशीलन करने पर यह विदित है कि पुनरीक्षणकर्तागण/आरोपीगण पर प्रथम दृष्टया धारा-323/34 भा0दं0वि0 का अपराध का संज्ञान लिये जाने बाबत पारित आलोच्य आदेश को चुनौती दी गयी है और मूलतः यह आधार लिया है कि मूल परिवाद में पुनरीक्षणकर्तागण/आरोपीगण पर धारा-323/34 भा0दं0वि0 के तहत संमंस विचारण करते हुए अपराध विवरण तैयार कर आरोप लगाये जा चुके हैं तथा आरोप पश्चात भी परिवादी और उसकी पत्नी श्रीमती रजिया वेगम जो कि प्रकरण के लिए महत्वपूर्ण साक्षी है, उसकी साक्ष्य लिपिबद्ध हो चुकी है । परिवादी की शेष साक्ष्य के लिए मामला विचाराधीन है, जिसका गुणदोषों पर शीघ्र निराकरण संभव है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा-200 और 202 द.प्र.सं. के तहत जो साक्ष्य उसके समक्ष पेश हुई, उसके आधार पर अपराध का संज्ञान लिया गया, जिसे अवैध अनुचित या औचित्यहीन नहीं मानी जा सकती है और परिवाद को केवल इस आधार पर निरस्त नहीं किया जा सकता कि पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी रफीक खां भारतीय सेना का सैनिक रहा है और उसे राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित किया गया था क्योंकि आपराधिक कृत्य का आक्षेप है । पुनरीक्षणकर्तागण/आरोपीगण की ओर से प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका में कोई बल होना प्रतीत नहीं होता है ।
9. फलतः अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश स्थिर रखा जाकर प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका सारहीन होने से निरस्त की जाती है।
10. उभयपक्ष विचारण न्यायालय में दिनांक 09/09/2014 ठीक 11 बजे अग्रिम कार्यवाही के लिए उपस्थित रहें।

दिनांक 02/09/2014

आदेश मेरे बोलने पर टंकित किया

आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में पारित किया गया।

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(पी.सी. आर्य)
द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश,
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)